[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 33/2019 – केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2019

सा.का.नि.____(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इससे पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 के उपनियम (1क) में,-

(क) "को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, "कटौती करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "के उपबंधों के अनुसार" शब्दों के पश्चात्, "यथास्थिति, धारा 51 के उपबंधों के अनुसार या" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियम के नियम 46 के चौथे परंतुक में, 1 सितम्बर, 2019 से, "परंतु यह भी कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, "बहुविद्ध स्क्रीन में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए पूर्तिकार से भिन्न" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त नियम के नियम 54 में, उपनियम (4) के पश्चात् 1 सितम्बर, 2019 से निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4क) बहुविध स्क्रीनों में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करे और उक्त-इलेक्ट्रॉनिक टिकट अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए कर बीजक के रूप में समझी जाएगी, भले ही ऐसे टिकट में सेवा के प्राप्तिकर्ता के ब्यौर अन्तर्विष्ट क्यों न हो किन्तु इसमें नियम 46 के अधीन यथा उल्लिखित अन्य सूचना अन्तर्विष्ट हो:

परंतु बहुविध स्क्रीनों से भिन्न स्क्रीन में ऐसी सेवा का पूर्तिकार, अपने विकल्प पर उपरोक्त प्रक्रिया का पालन कर सकेगा ।"।

5. उक्त नियम के नियम 83क के पश्चात्, ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**83ख. माल और सेवा कर व्यवसायी के नामांकन का प्रस्तुतिकरण**.-

(1) माल और सेवा कर व्यवसायी, जो अपने नामांकन को प्रस्तुत करने की वांछा करता है, सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-06** में आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा ।

(2) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच जो वह ठीक समझे करवाए जाने के पश्चात् और **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-07** में आदेश द्वारा ऐसे व्यवसायी के नामांकन को रद्द कर सकेगा ।"।

6. उक्त नियम के नियम 137 में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियम के नियम 138ङ के पहले परंतुक में,-

(क) "परंतु आयुक्त" शब्दों के पश्चात्, "**प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूवी-05** में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) "वे कारण, जो आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाएं" शब्दों के स्थान पर, "वे कारण, जो आदेश द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूवी-06** में लेखबद्ध किए जाएं" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों में **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** के पश्चात् ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी पीसीटी-06

[नियम **83**ख देखिए]

माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण के लिए आवेदन

1. जीएसटीपी नामांकन सं.	
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3. पता	<ऑटो पोपुलेटेड>
4. नामांकन के रद्दकरण के प्रभाव की तारीख	

मैं, नीचे उल्लिखित कारण(कारणों) से जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण के लिए अनुरोध करता हूं ।

1.
2.
3.

घोषणा

उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं यह वचनबंध करता हूं कि मैं ऐसे रद्दकरण से पहले जीएसटी व्यवसायी के रूप में अपने कार्यों के लिए दायी बना रहूंगा ।

(हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

“प्ररूप जीएसटी पीसीटी-07

[नियम **83**ख देखिए]

माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण का आदेश

1. जीएसटीपी नामांकन सं.	
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3. पता	<ऑटो पोपुलेटेड>
4. आवेदन की तारीख और सं.	
5. नामांकन के रद्दकरण के प्रभाव की तारीख	

घोषणा

यह सूचना दी जाती है कि जीएसटी व्यवसायी के रूप में आपका नामांकन.........................से रद्द किया जाता है ।

(हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख : ”.

9. उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** के उपाबंध-1 में, विवरण 5ख के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

“**विवरण 5ख** [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : मानित निर्यातों के मद्दे (रकम रुपए में)

क्र. स.	यदि प्रतिदाय का पूर्तिकार द्वारा दावा किया जाता है तो जावक पूर्तियों के बीजकों/जमापत्रों/नामेनोटों के ब्यौरे/यदि प्रतिदाय का दावा प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाता है तो आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे					संदत्त कर			
	पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	सं..	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक/ जमा पत्र/ नामे नोट का प्रकार)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”.

10. उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क** के उपाबंध-1 में, विवरण 5ख के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

“**विवरण 5ख** [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : मानित निर्यातों के मद्दे (रकम रुपए में)

क्र. स.	यदि प्रतिदाय का पूर्तिकार द्वारा दावा किया जाता है तो जावक पूर्तियों के बीजकों/जमापत्रों/नामेनोटों के ब्यौरे/यदि प्रतिदाय का दावा प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाता है तो आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे					संदत्त कर			
	पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	सं..	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक/ जमा पत्र/ नामेनोट का प्रकार)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									”.

11. उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी इडब्ल्यूबी-04** के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी इडब्ल्यूबी-05

[नियम **138ङ** देखें]

ई-वे बिल के सृजन के लिए सुविधा को अनिरुद्ध करने की अवधि

1	जीएसटीआईएन	<आटो पोपुलेटेड>
2	विधिक नाम	<आटो पोपुलेटेड >
3	व्यापार का नाम	<आटो पोपुलेटेड >
4	पता	<आटो पोपुलेटेड >

“**प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी**-05

[*नियम 138ङ देखें*]

ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन	<स्वतः>
2	विधिक नाम	<स्वतः>
3	व्यापार का नाम	<स्वतः>
4	पता	<स्वतः>

5	**प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01** के भाग का 'क' में सूचना देने की सुविधा (अर्थात् ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा) तारीख.....अनिरुद्ध की जाती है	<स्वतः>
6	ई-वेबिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने के कारण	<उपयोक्ता इनपुट>

(i)			
(ii)			
(iii)			
7	व्यतिक्रम के अधीन अवधि के लिए विवरणी फाइल करने की प्रत्याशित तारीख	<उपयोक्ता इनपुट>	

8. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं और यह घोषणा करता/करती हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

नाम/पदनाम/प्रास्थिति

तारीख:

स्थान:

प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-06

[*नियम 138ङ देखें*]

संदर्भ सं0.: तारीख:

सेवा में

_____ जीएसटीआईएन

---------- नाम

_____ पता

ई-वे बिल सृजित करने की सुवधा को अनिरुद्ध करने हेतु आवेदन मंजूर/नामंजूर करने का आदेश

एआरएन आवेदन: तारीख:

केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ङ के निबंधनानुसार तारीख से ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा निरुद्ध की गई थी।

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

मैं आवेदन स्वीकार करता हूं और निम्नलिखित आधारों पर ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने का आदेश करता हूं :

1.
2.

कृपया नोट करें कि सिस्टम में (तारीख) के पश्चात् ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा अवरुद्ध कर दी जाएगी यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ङ के निबंधनों में व्यतिक्रमी बना रहता है।

या

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।
मैं निम्नलिखित आधारों पर ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने का आवेदन नामंजूर करता हूं:

1.
2.

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम:
अधिकारिता:
पता:

टिप्पण: विस्तृत आदेश/कारण(कारणों) के लिए पृथक दस्तावेज संलग्न किए जाएं।"।

[**फा. सं**. 20/06/16/2018-**जीएसटी**]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केन्द्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि.457(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 31/2019-केन्द्रीय कर तारीख 28 जून, 2019 अंतिम संशोधन किया गया।